झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : केन्द्रीय परीक्षा नियमावली भाग–I सभी राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए प्रयोज्य एवं भाग II झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए प्रयोज्य।

पठित : प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा नियमावली।

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं. 3372 दिनांक 18.6.2003 द्वारा विषयान्तर्गत नियमावली का निर्माण किया गया है। उक्त नियमावली के एपेन्डिक्स I के सेक्शन डी की कंडिका 7 में हिन्दी विषय में उत्तीर्णता का मापदंड निर्धारित नहीं है, अतएव उत्तीर्णता का मापदंड निर्धारित करते हुए उस नियम डी की उपकंडिका बी के अंत में निम्नांकित अंश जोड़ा जाता है :–

Officers Securing 50% and above but less than 60% in the written paper will be declared to have passed by the lower standard and officers securing 60% and above would be declared to have passed by higher standard.

2. नियमावली के एपेन्डिक्स III में जनजातीय भाषाओं की परीक्षा हेतु पूर्णाक, विषय में उत्तीर्णता का मापदंड, परीक्षा की समयावधि तथा विषय कोड अंकित नहीं है, जिसका निराकरण करते हुए उक्त नियमावली में निम्नांकित अंश का समावेश किया जाता है :–

नियमावली के एपेन्डिक्स III में जनजातीय भाषाओं की परीक्षा दो भाग में आयोजित की जायेगी जिसमें प्रथम भाग लिखित परीक्षा तथा दूसरा भाग मौखिक परीक्षा होगी। दोनों परीक्षा 100–100 (सौ–सौ) अंकों की होगी। निम्न स्तर पर उत्तीर्णता हेतु 50 प्रतिशत तथा उच्च स्तर पर 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। परीक्षार्थियों को लिखित एवं मौखिक परीक्षा में अलग–अलग उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। सभी पदाधिकारियों को निम्न स्तर पर जनजातीय भाषा की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। जो पदाधिकारी निम्न स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं और अगर वे उच्च स्तर की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना चाहें तो पुनः परीक्षा में शामिल होने की अनुमति ले सकते हैं। उच्च स्तर में पास करने वाले परीक्षार्थी को निम्न स्तर से भी उत्तीर्ण माना जायेगा। जनजातीय भाषा की समयावधि 3 (तीन) घंटे की होगी तथा विषय कोड–49 माना जायेगा।

3. नियमावली के एपेन्डिक्स III की कंडिका 3 की सबकंडिका (ए) और (बी) को विलोपित किया जाता है।

4. विभागीय संकल्प सं. 3372 दिनांक 18.6.2003 से निर्गत विभागीय परीक्षा नियमावली के साथ आलोच्य संकल्प को संधारित किया जायेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की सूचना हेतु झारखण्ड के अगामी अंक के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/राजस्व पर्षद, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

22/7/2004

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 7/वि.वि.प. 27/2002 3954 **/रांची, दिनांक** 22 **जुलाई, 2004**

प्रतिलिपि – अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, रांची को राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

22/7/2004

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 7/वि.वि.प. 27/2002 3954 **/रांची, दिनांक** 22 **जुलाई, 2004**

प्रतिलिपि – महालेखाकार, झारखण्ड/सचिव, केन्द्रीय परीक्षा समिति, झारखण्ड/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी अनुमंडलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रषित।

22/7/2004

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 7/वि.वि.प. 27/2002 3954 **/रांची, दिनांक** 22 **जुलाई, 2004**

प्रतिलिपि – महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

22/7/2004

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 7/वि.वि.प. 27/2002 3954 **/रांची, दिनांक** 22 **जुलाई, 2004**

प्रतिलिपि – सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड रांची को दिनांक 29.6.04 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक की मद सं. 2 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

22/7/2004

सरकार के उप सचिव।